न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा (कोर्ट केम्प असाड़ा)
पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, RAS (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या 202B /2021

2021/501

वादी :–

1. सांवलसिंह पुत्र प्रताप सिंह
जाति पुरोहित निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मंगलसिंह पुत्र प्रतापसिंह
2. लालसिंह पुत्र रावतसिंह
जातियान पुरोहित निवासी असाड़ा
तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. उभय पक्षकरान

निर्णय

दिनांक :– 14.11.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 1407 रकबा 09–03 बीघा, खसरा नं 287 रकबा 07–16 बीघा सरहद मौजा असाड़ा, पटवार मण्डल असाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम कालु होने से राजस्व रेकर्ड में कालु पुत्र प्रतापा नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में वादी का सही नाम सांवलसिंह पुत्र प्रतापसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने मे कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज कालु पुत्र प्रतापा के स्थान पर सांवलसिंह पुत्र प्रतापसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम कालु पुत्र प्रतापा के स्थान पर सांवलसिंह पुत्र प्रतापसिंह दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई, उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:49 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, बाद अवलोकन [illegible] द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में [illegible] सिंह पुत्र प्रतापसिंह दर्ज है, साथ ही सरंपच ग्राम पंचायत असाड़ा के प्रमाण पत्र दिनांक 14.11.20[illegible] तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2021 दिनांक 14.09.2021 एवं तहसीलदार पचपदरा की [illegible] रिपोर्ट मय मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि वादी के नाम नामान्तरकरण भरते समय बचपन का नाम कालु पुत्र प्रतापा दर्ज किया गया है जबकी वादी का सही नाम सावलसिंह पुत्र प्रतापसिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा असाड़ा के खेत खसरा नं 1407 रकबा 09—03 बीघा, खसरा नं 287 रकबा 07—16 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम कालु पुत्र प्रतापा के स्थान पर सांवलसिंह पुत्र प्रतापसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2021 को शिविर असाड़ा में मजमें आम में सुनाया गया।

14.11.21

(शैलेश सुराणा ,RAS)
(सचिव नगर सुधार न्यास, बाड़मेर)
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:49 IST
Reason: SelfAttested